सं.क्षे.क्ष.नि.एवं ज्ञा.कें./बेंग./प्रशा./2023-24 /321 दिनांक: 08.01.2024

परिपत्र

मुख्यालय कार्यालय के दिनांक 26.09.2023 के पत्र सं.1346-स्टाफ (नियु.1)/22-2016 के अधीन जारी परिपत्र सं.30 में निर्धारित निबंधन व शर्तों के अनुसार क्षे.क्ष.नि. एवं ज्ञा.कें., बेंगलूरु में अल्पकालिक संविदा के आधार पर परामर्शदाता के रूप में कार्य करने हेतु सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र.सं.	पद का नाम	प्रस्तावित रिक्तियां जो भरी जानी हैं	पात्रता मानदंड
1	निजी सचिव	01	सेवा निवृत्त निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक/पर्यवेक्षक/सहा. पर्यवेक्षक/वरि. लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक/वरि. लेखाकार/लेखाकार
2	वरिष्ठ लेखापरीक्षक	01	सेवा निवृत्त पर्यवेक्षक/सहा. पर्यवेक्षक/वरि. लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक/वरि. लेखाकार/लेखाकार

संविदात्मक अधिकारियों/कर्मचारियों पर निम्नलिखित सामान्य निबंधन व शर्तें लागू होंगी:

1. आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. सेवा-निवृत्त अधिकारियों को प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए काम पर रखा जाएगा, जिसे कार्य-निष्पादन व सेवा की आवश्यकता के आधार पर अधिकतम 05 कार्यकाल अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
3. देय पारिश्रमिक एवं भत्ते व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 09.12.2020 के का.ज्ञा. सं.3-25/2020-ई.IIIए द्वारा नियंत्रित होंगे जो निम्नप्रकार हैं:
   क. सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक राशि का भुगतान किया जाएगा जो सेवा-निवृत्ति के समय आहरित वेतन से मूल पेंशन को काटकर प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार नियत की गई राशि संविदा की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।
   ख. निवास स्थान और कार्यस्थल के बीच आवागमन हेतु परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि दी जाएगी जो नियुक्त व्यक्ति पर सेवा निवृत्ति के समय लागू दर से अधिक नहीं होगी।
   ग. संविदा के दौरान कोई वार्षिक वेतन-वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि, महंगाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता नहीं दिए जाएंगे।
4. अल्पकालिक संविदा के आधार पर नियुक्त सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह हेतु 1.5 दिन की दर से सवेतन अनुपस्थिति अवकाश दिया जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक समय तक छुट्टियों के संचय की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, कर्फ्यू, बंद, हड़ताल, लॉकडाउन आदि के दौरान अनुपस्थिति के मामलों में उसी तरह कार्रवाई की जानी चाहिए जैसे सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में की जाती है।

5. यदि अल्पकालिक संविदा पर नियुक्त सेवा-निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी उपर्युक्त के अलावा किसी अन्य कारण से एक महीने में सवेतन अवकाश के बाद भी अनुपस्थित रहता है तो परिवहन भत्ते सहित उसका पारिश्रमिक निम्नप्रकार से आनुपातिक आधार पर काटा जाएगा:

$$\text{निश्चित मासिक पारिश्रमिक} \times \frac{\text{कार्य दिवस पर अनुपस्थिति के दिनों की संख्या}}{22}$$

6. संघ/सरकार द्वारा लगिया गई वैधानिक कटौतियां नियमानुसार की जाएंगी।
7. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर होगी और किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
8. अल्पकालिक संविदा पर नियुक्त होने के लिए चयनित सेवा-निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को एक गोपनीयता के समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें नैतिकता और सत्यनिष्ठा का एक खंड शामिल होगा।

सेवा-निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उपर्युक्त कार्य करने के इच्छुक हैं, वे अपना बायोडाटा प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी प्रकार से विधिवत् भरे गए आवेदन डाक द्वारा या rtcbangalore@cag.gov.in के माध्यम से दिनांक 19.01.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त होने चाहिए।

(प्राधिकार: प्रधान निदेशक, क्षे.क्ष.नि. एवं ज्ञा.कें., बेंगलूरु के दिनांक 30.12.2023 का आदेश)

व.ले.प.अ./प्रशा. & मुख्य संकाय-सामान्य पाठ्यक्रम
क्षे.क्ष.नि. एवं ज्ञा.कें., बेंगलूरु

No.RCB&KC/BNG/Admn/2023-24/321 Dated 05-01-2024

CIRCULAR

Applications are invited from retired officers/officials to work on short term contract basis as consultant in RCB&KC Bengaluru in accordance with terms and conditions prescribed by Headquarters Office Circular No.30 issued under No. 1346-Staff (APP 1)/22-2016 dated 26.09.2023.

Sl No	Name of Post	Vacancies proposed to be filled	Eligibility Criteria
01	Private Secretary	01	Retired Private Secretary/Personal assistant/ Supervisor/Asst. Supervisor/Sr. Auditor/Auditor/Sr. Accountant/Accountant
02	Sr. Auditor	01	Retired Supervisor/Asst. Supervisor/Sr. Auditor/Auditor/Sr. Accountant/Accountant

The following broad terms and conditions will be applicable to the contractual Officers/Officials:

1. Age should not be beyond 65 years.
2. Retired officers would be initially hired for a period of one-year, extendable up to a maximum of five terms subject to performance and requirement of service.
3. Remuneration and allowances payable will be governed by OM No.3-25/2020 —E.III A dated 09-12-2020, issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi, which is as under:

   a. The retired officers/officials shall be paid a fixed monthly amount, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged for the term of contract.
   b. An appropriate and fixed amount as transport Allowance for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement.
   c. No annual increment/percentage increase, Dearness allowance and House Rent Allowance shall be allowed during the contract.

4. Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service to the retired Officer/official hired on short term contract basis. Accumulation of leave beyond a calendar year may not be allowed. However, absence during curfew, bandh, strike, lockdown should be dealt with in a similar way as in the case of serving officers/officials.

5. If retired officer/official hired on short term basis remains absent, beyond paid leave in a month for reasons other than those indicated above, his/her remuneration including Transport allowance shall be deducted on pro-rata basis as under:

$$\text{Fixed monthly remuneration} \times \frac{\text{No. of days of absence on working days}}{22}$$

6. Statutory deductions levied by the Union/Government shall be made as per rules.
7. The appointment will be purely on temporary basis and is subject to termination at any time.
8. The retired Officers/officials selected to be hired on short term contract basis shall sign an agreement of confidentiality containing a clause on Ethics and integrity.

The Retired Officers who are fulfilling the eligibility criteria and willing for the above assignments may submit their Bio-data. Applications duly filled in all respects must reach the undersigned either by post or through email at rtcbangalore@cag.gov.in latest by
19-01-2024.

(Authority: Orders of Principal Director of RCB & KC, Bengaluru dated 30.12.2023)

Sr. Audit Officer/Admn & CF-Gen

RCB & KC, Bengaluru.

आवेदन पत्र

पद जिसके लिए आवेदन किया है:

सं.	**विवरण**	
1	सेवा-निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पत्राचार हेतु आवासीय पता, ई-मेल पता तथा दूरभाष संख्या	
2	जन्म की तिथि	
3	योग्यताएं क. शैक्षणिक ख. व्यावसायिक	
4	सरकारी सेवा में प्रवेश की तिथि	
5	कार्यालय का नाम जहाँ से सेवा-निवृत्त हुए थे	
6	सेवा की अवधि	
7	सेवा-निवृत्ति की तिथि	
8	सेवा-निवृत्ति के समय धारित पद	
9	स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के मामले में सेवा-निवृत्त होने का कारण	
10	अनुभव	5 वर्षों की एपीएआर की प्रतियों के साथ अलग शीट में संलग्न करें
	पद से संबंधित पेशेवर अनुभव प्रशिक्षण, कार्य के संबंध में अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो,	

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य व सही है।

दिनांक: **आवेदक के हस्ताक्षर**

APPLICATION FORM

Post applied for:

No.	Particulars	
1.	Name of the Retired officer/official Residential address for communication, email id and Mobile Phone No.	
2.	Date of Birth	
3.	Qualification a. Educational b. Professional	
4.	Date of entry to Government service	
5.	Name of the Office from which retired	
6.	Length of Service	
7.	Date of Retirement	
8.	Post held at the time of Retirement	
9.	In case of Voluntary retirement, ground on which retired	
10.	Experience	Attach separate sheet along with copies of APARs for 5 years
	Additional information, if any, on Professional Experience training, work relevant to the post	

I hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Date: SIGNATURE OF APPLICANT